

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015—ज्येष्ठ 22, शक 1937

## भाग ४

### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2015

अधिसूचना क्र./भ.स.क.म.म-2014-7173.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-2348, दिनांक 18 जुलाई 2014 भाग-4(ग) द्वारा “मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना 2013” पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका 3 “योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्माण श्रमिकों की पात्रता की शर्तें” में शब्दों “लगातार 5 वर्षों” के स्थान पर “न्यूनतम चार वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.

अधिसूचना क्र./भ.स.क.म.म-2014, 7173.—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक भ.स.क.क.म.-1081, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 भाग-4(ग) तथा संशोधन अधिसूचना क्रमांक भसकम-2014-2348 दिनांक 18 जुलाई 2014 द्वारा “पेंशन सहायता योजना, 2013” पूर्व में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

### संशोधन

1. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका ग “योजना का विवरण एवं पात्रता” में शब्दों “न्यूनतम पांच वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम चार वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. उक्त योजना के प्रावधानों में योजना की कण्डिका घ “पात्रता” में “न्यूनतम पांच वर्ष” के स्थान पर “न्यूनतम चार वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाता है.

एस. एस. दीक्षित, सचिव.

## वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक एफ-1-102-2011-अ-ग्यारह.—मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. विद्यमान नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“3 सोसाइटी का ज्ञापन तथा उप-विधियां :—धारा 5 के अधीन भरा जाने वाला सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक ज्ञापन प्ररूप एक में या ऐसे निकटतम प्ररूप में होगा जैसाकि परिस्थितयां स्वीकार करें तथा आदर्श उप-विधियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्ररूप एक-क में हो सकेगा.”.

2. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

### अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

### फीस

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| (1) | धारा 7 के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण   | सामान्य रूपए 3,000/-<br>तत्काल रूपए 5,000/- |
| (2) | धारा 7 के अधीन महिला मण्डल/युवक मण्डल का रजिस्ट्रीकरण                                  | सामान्य रूपए 1,000/-<br>तत्काल रूपए 1,500/- |
| (3) | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित. | कोई फीस नहीं.                               |

समितियों का रजिस्ट्रीकरण (यह प्रावधान अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिये लागू रहेगा)

(4)	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	रुपए 1,000/-
(5)	धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन :-	
	(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-	
	(एक) कय की अनुज्ञा के लिए	
	5 लाख तक	रुपए 10,000/-
	5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख तक	रुपए 20,000/-
	15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख तक	रुपए 40,000/-
	25 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक	रुपए 80,000/-
	50 लाख से अधिक	रुपए 80,000

(+ प्रत्येक 5 लाख अथवा उसके भाग पर रूपये 10,000/-)

(दो) विकय की अनुज्ञा के लिए

	5 लाख तक	रुपए 10,000/-
	5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख तक	रुपए 20,000/-
	15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख तक	रुपए 40,000/-
	25 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख तक	रुपए 80,000/-
	50 लाख से अधिक	रुपए 80,000/-

(+ प्रत्येक 5 लाख अथवा उसके भाग पर रूपये 25,000/- )

- |   |   |
|---|---|
| (तीन) प्रत्येक दान के लिये                                    | रूपए 25,000/-   |
| (ख) उपधारा (2) के अधीन स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग के लिए | रेखांक(प्लान) की लागत का 10 प्रतिशत या रूपए 50,000/- इनमें से जो भी अधिक हो |
| (6) धारा 27 के अधीन विवरणी प्रतिवर्ष                          | रूपए 1,000/-  |
| (7) धारा 28 के अधीन संपरीक्षित विवरण प्रतिवर्ष                | रूपए 1,000/-  |
| (8) धारा 29 के अधीन प्रतियां, निरीक्षण                        | रूपए 20/- प्रति पृष्ठ सामान्य निरीक्षण<br>रूपए 40/- प्रति पृष्ठ तत्काल      |
|   | रूपए 100/- निरीक्षण के लिए प्रति रजिस्टर                                    |
|   | रूपए 100/-निरीक्षण विवरणी/ मूल फाईल."                                       |
3. विद्यमान प्ररूप - एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“प्ररूप क्रमांक एक

(नियम 3 देखिए)

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम:-..... होगा।
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक.....मोहल्ला..... तहसील.....जिला.....में स्थित होगा तथा इसका पता ..... होगा।

3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद्, समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई हैं :-

अनुक्रमांक (1)	पिता/पति के नाम के साथ नाम (2)	पद (3)	पूर्ण पता (4)	उपजीविका (5)
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति इस संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है।

हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, उपरोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और हमने नीचे दर्शाए गए अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं :-

अनुक्रमांक	हस्ताक्षर करने वालों के नाम पिता/पति के नाम सहित	पूरा पता	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			
(7)			

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य आदर्श उप-विधियां प्ररूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।

(अध्यक्ष)

(सचिव)

(कोषाध्यक्ष/सदस्य)

दिनांक .....

साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पूरा पता.....

**प्ररूप एक क**  
**(नियम 3 देखिए)**  
**(सोसाइटी की उप-विधियाँ)**

1. सोसाइटी का नाम ..... होगा।
2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय भूकान नंबर ..... मोहल्ला .....  
तहसील..... जिला ..... मध्यप्रदेश में स्थित होगा।
3. सोसाइटी का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. सोसाइटी के उद्देश्य :-  
(ज्ञापन के अनुसार)  
.....  
.....  
.....
5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे :-  
(क) संरक्षक सदस्य : वह व्यक्ति जो रूपए 1,000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किशतों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा;  
(ख) आजीवन सदस्य : वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा;  
(ग) साधारण सदस्य : वह व्यक्ति जो रूपए 10/- प्रतिमाह या रूपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा;  
(घ) अवैतनिक सदस्य : सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
6. सदस्यता की प्राप्ति.- प्रत्येक व्यक्ति को, जो सदस्य बनने का इच्छुक हो, प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति, सदस्यता के लिए ऐसे आवेदन को स्वीकार करने या निरस्त करने के लिए प्राधिकृत होगी।
7. सदस्यता के लिए अर्हता .- सोसाइटी की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अर्हता आवश्यक है,-

- (एक) आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए;
- (दो) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए;
- (तीन) उसका सोसाइटी के नियमों के प्रति विश्वास हो तथा वह उनका पालन करता हो;
- (चार) वह सच्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
8. सदस्यता की समाप्ति .- निम्नलिखित में से किन्हीं भी स्थितियों में सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी .-
- (एक) मृत्यु हो जाने पर ;
- (दो) पागल हो जाने पर ;
- (तीन) नियम 5 के अनुसार सोसाइटी को देय सदस्यता की रकम जमा करने में असफल रहने पर ;
- (चार) त्याग पत्र देने पर यदि स्वीकृत हो जाता है तो ; और
- (पांच) नैतिक अधमता से संबंधित किसी अन्य कारण के सिद्ध हो जाने पर और प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाकर निष्काषित करने पर तथा ऐसा निर्णय संबंधित सदस्य को लिखित में संसूचित किया जाना चाहिए।
9. सदस्यों की सदस्यता पंजी संधारित की जाएगी .-
- (क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय तथा हस्ताक्षर तारीख सहित ;
- (ख) सदस्यों के प्रवेश की तारीख, रसीद क्रमांक सहित ;
- (ग) सदस्यता समाप्ति की तारीख।
10. (क) साधारण सम्मिलन.- ऐसे सदस्य जो कि नियम 5 के अंतर्गत दर्शाए गए हैं, साधारण सम्मिलन में भाग लेने के लिए हकदार होंगे। सम्मिलन, जब कभी भी आवश्यक हो, तब आयोजित किया जाएगा। वर्ष में कम से कम एक साधारण सम्मिलन आयोजित किया जाना अनिवार्य है। साधारण सम्मिलन का समय, स्थान और तारीख, प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और सभी सदस्यों को साधारण सम्मिलन की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित किया जाएगा। सम्मिलन की गणपूर्ति 3/5 सदस्यों से होगी। सोसाइटी का पहला साधारण सम्मिलन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 माह के भीतर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन किया जाएगा।



(ख) प्रबंधकारिणी समिति.— प्रबंधकारिणी समिति का सम्मिलन प्रत्येक माह आयोजित किया जाएगा और उसके लिए प्रत्येक सदस्य को, सम्मिलन के कम से कम सात दिन पूर्व, सूचना दी जानी चाहिए। सम्मिलन की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे से होगी।

11. साधारण निकाय की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व.—

- (एक) पूर्व वर्ष की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट को मंजूरी देना;
- (दो) सोसाइटी की स्थाई निधियों तथा आस्तियों की उचित व्यवस्था करना;
- (तीन) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षक नियुक्त करना;
- (चार) ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार करना, जो कि प्रबंधकारिणी समिति द्वारा लाए जाएं;
- (पांच) सोसाइटी के अधीन चलाए जा रहे संगठन के आय-व्यय के लेखा की विवरणी को मंजूर करना;
- (छह) वार्षिक बजट अनुमोदित करना।

12. प्रबंधकारिणी समिति का गठन.— ऐसे सदस्य, जो नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्यता रजिस्टर में नामांकित किए गए हैं, बहुमत से, प्रबंधकारिणी समिति के निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन करेंगे :—

- (क) अध्यक्ष;
- (ख) उपाध्यक्ष;
- (ग) सचिव;
- (घ) कोषाध्यक्ष;
- (ङ) संयुक्त सचिव; और
- (च) दो सदस्य।

13. प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल.— प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रबंधकारिणी समिति, नई प्रबंध समिति के गठन होने तक कार्य करेगी, किन्तु यह कालावधि छह मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी और कालावधि का ऐसा विस्तार साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

14. प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार एवं उत्तरदायित्व.—

- (क) उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना जिनके लिए सोसाइटी का गठन किया गया है ;

- (ख) प्रत्येक वर्ष, साधारण निकाय के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की द्विवरणी के साथ पिछले वर्ष के भली भांति परीक्षण किए गए आय-व्यय, लेखा की सम्यक् रूप से संपरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करना;
- (ग) सोसाइटी के अधीन कार्य कर रही संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का संदाय करना और सोसाइटी की आस्तियों तथा स्थावर सम्पत्ति पर प्रभारित करों का भुगतान करना;
- (घ) आवश्यक कर्मचारिवृंद/शिक्षकों की नियुक्ति करना;
- (ङ) ऐसे आवश्यक कार्य करना जैसे कि समय-समय पर साधारण सम्मिलन द्वारा समनुदेशित किए जाएं;
- (च) सोसाइटी के रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति के बिना कोई स्थावर संपत्ति अंतरित या अन्यथा अर्जित या विक्रीत नहीं की जाएगी;
- (छ) सोसाइटी की उप-विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने, चर्चा करने और स्वीकृति के लिए विशेष सम्मिलन बुलाया जाएगा, इसे संशोधन का संकल्प पारित करने के लिए इसे साधारण सभा के समक्ष रखा जाएगा। संशोधन के लिए संकल्प पारित करने के लिए साधारण सम्मिलन का 2/3 बहुमत होना चाहिए और यह विहित प्ररूप में रजिस्ट्रार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
15. अध्यक्ष के अधिकार.— अध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति तथा साधारण सम्मिलन की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव के माध्यम से साधारण सम्मिलन के साथ-साथ प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार.— अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, समस्त साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा।
17. सचिव के अधिकार.—
- (क) जब भी आवश्यक हो साधारण सम्मिलन तथा प्रबंधकारिणी समिति की सभा बुलाना और समस्त आवेदन प्रस्तुत करना;

- (ख) संपरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित किए जाने के पश्चात् आय-व्यय लेखाओं की विवरणी तैयार करना और साधारण सम्मिलन के समक्ष प्रस्तुत करना;
- (ग) सोसाइटी के समस्त प्रकार के कागज-पत्र तैयार करने की व्यवस्था करना और उनका निरीक्षण करना, यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो रिपोर्ट, प्रबंधकारिणी समिति के समक्ष सूचना के लिए रखी जानी चाहिए;
- (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18. संयुक्त सचिव के अधिकार.— सचिव की अनुपस्थिति में, संयुक्त सचिव, सचिव की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार.— सोसाइटी के लेखाओं का संधारण करना और प्रबंधकारिणी समिति के सचिव द्वारा सम्यक् रूप से मंजूर किए गए व्यय करना।
20. बैंक खाता.— सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जाएंगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21. रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी.— मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (कमांक 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन विहित प्ररूप में प्रबंधकारिणी समिति की सूची, सोसाइटी की वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संपरीक्षित लेखे प्रतिवर्ष विहित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
22. विघटन.— सोसाइटी के उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत द्वारा विघटन पारित किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।
23. सम्पत्ति.— समस्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति सोसाइटी के नाम से होगी। सोसाइटी की स्थावर सम्पत्ति (स्थिर आस्तियां), रजिस्ट्रार, सोसाइटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान या अन्यथा द्वारा व्ययनित या अर्जित नहीं की जा सकेंगी।

6. विद्यमान प्ररूप छह तथा सात के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

“प्ररूप-छह  
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 21 के अधीन स्थावर संपत्ति के विक्रय, उपहार या अन्यथा अर्जित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1.	सोसाइटी का नाम और पूरा पता	.....
2.	सोसाइटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख	.....
3.	अर्जित की जाने वाली/क्रय की जाने वाली/ उपहार दी जाने वाली/अंतरित की जाने वाली/बेची जाने वाली या अन्यथा स्थावर संपत्ति का पूरा विवरण	.....
4.	सोसाइटी के प्रयोजन से भिन्न संपत्ति के क्रय/विक्रय या अन्यथा अंतरण के कारण अथवा उद्देश्य	.....
5.	सोसाइटी के कार्यकारी निकाय के सम्मिलन की तारीख जिसमें कि विक्रय/क्रय या अंतरित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।	.....
6.	स्थावर संपत्ति के क्रय, विक्रय या अंतरण आदि की अनुज्ञा के लिए.....रु की फीस चालान क्र. .... दिनांक ..... द्वारा जमा की गई है जिसकी मूल प्रति संलग्न है	.....

हम, सोसाइटी के प्राधिकृत अधिकारी एतद्वारा घोषणा करते हैं कि :-

- (1) हम अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यकारी निकाय के पदाधिकारी हैं, उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित है तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (2) इस बात का समुचित रूप से सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रेता अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखता है।
- (3) उक्त संपत्ति का क्रय/विक्रय प्रतिषिद्ध नहीं है, यदि क्रय/विक्रय के लिए किसी प्राधिकरण की अनुज्ञा आवश्यक है तो यह हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- (4) सोसाइटी द्वारा संपत्ति कलक्टर के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार क्रय/विक्रय की जाएगी। यदि हमारे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड के दायी होंगे।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

अध्यक्ष.....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

सचिव.....

प्ररूप सात

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता .....
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख .....
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख .....
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची: कार्यकाल तारीख.....से तारीख.....तक

अनुक्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					

5. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन ..... रु. की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

### घोषणा

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... आयु लगभग..... वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(अध्यक्ष/सचिव)।।

No F-1-102/2011/A-11::In exercise of the powers conferred by section 43 of the Madhya Pradesh Society Registrkaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Society Registrkaran Niyam, 1998, namely :-

#### AMENDMENT

In the said rules, -

- 1 For the existing rule 3, the following rule shall be substituted, namely :-

**“3. Memorandum and bye-laws of society :-** Registration of every memorandum of society to be filled under section 5 shall be in Form I or in a form as near to as circumstances admit and registration for model bye-laws may be in Form IA.”

- 2 For the existing Schedule, the following schedule shall be substituted, namely :-

#### “SCHEDULE (see rule 4) Fees

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| (1) | Under section 7 Registration of Society   | Routine Rs. 3,000/-<br>Urgent Rs. 5,000/- |
| (2) | Under section 7 Registration of Mahila Mandal/Yuvak Mandal  | Routine Rs. 1,000/-<br>Urgent Rs. 1,500/- |
| (3) | Registration of societies constituted by residents illegal colonies notified by Urban Administration and Development Department (This provision shall be applicable for 3 years from the date of notification). | No fees                                   |
| (4) | Under section 10 each amendment   | Rs. 1000/-                                |

(5) Under sub-section (3) of section 21:-	
<b>(A) Application under sub-section (1),-</b>	
<b>(i) For permission to purchase</b>	
Upto 5 lacs	Rs.10,000/-
above 5 lacs upto 15 lacs	Rs. 20,000/-
above 15 lacs upto 25 lacs	Rs. 40,000/-
above 25 lacs upto 50 lacs	Rs.80,000/-
Above 50 lacs	Rs.80,000/- (+ on every 5 lacs or its fraction Rs. 10,000/-)
<b>(ii) For permission of sale</b>	
Upto 5 lacs	Rs.10,000/-
above 5 lacs upto 15 lacs	Rs.20,000/-
above 15 lacs upto 25 lacs	Rs. 40,000/-
above 25 lacs upto 50 lacs	Rs.80,000/-
above 50 lacs	Rs.80,000/- (+ on every 5 lacs or its fraction Rs. 25,000/-)
(iii) For each gift	Rs. 25,000/-
<b>(B) For otherwise, utilizing of immovable property under sub-section (2)</b>	10% of the cost of plan or Rs.50,000/- whichever is more
(6) Under section 27 return every year	Rs.1,000/-



- |   |   |
|---|---|
| (7) Under section 28 audited statement every year | Rs.1,000/-  |
| (8) Under section 29 copies, inspection           | Rs.20/- per page<br>routine<br>Rs. 40/- per page<br>urgent<br>Rs.100/- inspecting<br>per Register<br>Rs. 100/- inspection<br>Return/Original<br>file.”. |

3. For the existing Form-I, the following Forms shall be substituted, namely :-

**“FORM NO.I  
(see rule 3)**

**Memorandum of society for registration of societies**

1. The Name of the society shall be.....
2. The Head office of the Society shall be situated at H.No.....Mohalla.....in Tehsil.....of the District and its address shall be .....
3. The objects of the society shall be as under :-
  - (1)
  - (2)
  - (3)
  - (4)
  - (5)
4. The management of the affairs of the society is entrusted by the Regulations of the Society to the Governor, Council of Directors, Committee or Governing Body, whose names, addresses and occupation are specified below:-

S.No.	Name with Father's/Husband's Name	Post	Full Address	Occupation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				

5. One copy of the regulation of the society duly certified as required by sub-section (3) of section 6 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) is filed with this memorandum of Association.

We, the several persons whose names and addresses are mentioned below are desirous of forming a society in pursuance of the aforesaid Memorandum of Association and have signed the memorandum in the presence of the witnesses as shown below:-

S.No.	Name of the subscribers with Father's/Husband's Name	Full Address	Signature
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			
(7)			

6. We office bearer/members as below accept model bye-laws Form-IA as bye-laws of the society.

(President)

(Secretary)

(Treasurer/Member)

Date.....

Witness

Signature.....

Name.....

Father's/Husband's Name.....

Full address.....

## FORM IA

(see rule 3)

## [Bye-laws of the society]

1. Name of the society shall be.....
2. The Head office of the society shall be situated at House No.....Mohalla.....Tehsil.....District.....  
Madhya Pradesh.
3. Area of operation: Whole of Madhya Pradesh
4. Objectives of the Society :-  
(As per memorandum)  
.....  
.....  
.....
5. Members of the society shall be of the following categories :-
  - (a) **Patron Members** : The person who donates Rs. 1,000/- or more in lump sum or pay in 12 installments within a year he shall be patron member of the society;
  - (b) **Life Members**: The person who pays Rs. 500/- or more shall be life time member of the society;
  - (c) **Ordinary Members**: The person(s) who shall pay Rs. 10/- per month or Rs. 120/- per annum shall become ordinary member. The ordinary member shall only be member for the period for which he shall pay contribution;
  - (d) **Honorary Members**: The managing committee of the society can make any person or persons for membership. Such members can participate in Annual General Meeting but they shall not be entitled for vote.
6. **Obtaining the membership.**- Every person who wishes to be a member shall have to submit his application in writing before the managing committee. The managing committee shall be authorized to accept or reject such application for membership.

7. **Qualification for membership** : The following qualifications are essential for the membership of the society,-

- (i) age should not be less than 18 years;
- (ii) he should be a citizen of India;
- (iii) he has faith and follows the rules of the society;
- (iv) he should have a good moral character and should be teetotaler.

8. **Termination of membership**.- The membership of the society shall cease under any of the following conditions,-

- (i) on death;
- (ii) on madness;
- (iii) on failure to deposit the contribution of membership of the society as per rule 5;
- (iv) on resignation, if accepted; and
- (v) any other reasons related to proven moral turpitude and expulsion by the resolution of the managing committee and such decision should be communicated in writing to the concerning member.

9. **Register of membership of members shall be maintained**.-

- (a) name of every member, address, occupation and signature with date;
- (b) The date of entry of members with receipts number;
- (c) The date of termination.

10. (a) **General Meeting**.- The member who has been shown under rule 5 shall be entitled to participate in general meeting. The meeting shall be held as and when required. At least one general meeting to be organized in a year is essential. The time, place and date of general meeting shall be decided by the managing committee and communicated in writing to all members at least 15 days before the date of general meeting. The quorum of the meeting shall be 3/5<sup>th</sup> members. The first general meeting of the society shall be held within 3

months from the date of registration, in which the managing committee shall be elected.

(b) Managing Committee.- The meeting of the managing committee shall be organized every month and the intimation for the same should be communicated to every member of managing committee at least seven days prior to the meeting. The quorum of the meeting shall be half of the total members.

**11. Power and responsibilities of the General Body.-**

- (i) to sanction the previous year annual progress report;
- (ii) to make proper arrangement of permanent funds and assets of the society;
- (iii) to appoint auditor for the coming financial year;
- (iv) to consider any other subject which may be brought by the managing committee;
- (v) to sanction the statement of income and expenditure account of organization running under the society;
- (vi) to approve the annual budget.

**12. Constitution of the Managing Committee.-** The members who have been enrolled in the membership register specified in rule 5 shall elect the following of the office bearers and members of the managing committee by majority of vote:-

- (a) President;
- (b) Vice-President;
- (c) Secretary;
- (d) Treasurer;
- (e) Joint Secretary; and
- (f) Two members

**13. Term of managing committee.-** The term of the managing committee shall be three years. The managing committee shall function till the new managing committee is constituted, but this period cannot be extended more than six months and such extension of period should be approved by the general body.

**14. Rights and responsibilities of the managing committee.-**

- (a) to arrange the fulfillment of object for which the society has been constituted;
- (b) to submit the duly audited statement of income and expenditure account of last year well examined with the statement of annual progress report before the general body every year;
- (c) to make payment and allowance to the employees in the institutions working under the society and to make the payment of taxes charged on the assets and immovable property of the society;
- (d) to appoint the necessary staff/teachers;
- (e) to perform the necessary works as may be assigned by the general meeting from time to time;
- (f) any immovable property shall not be transferred or otherwise acquired or sold without written permission of the Registrar of the society;
- (g) the proposal for the amendment in the bye-laws of the society, the special meeting shall be summoned for considering the discussions and for sanction, it shall be put up before the general meeting for passing resolution of amendment. There should be 2/3<sup>rd</sup> majority of general meeting to pass the resolution for amendments and it shall be sent to the Registrar for approval in prescribed form.

**15. Rights of the President.-** The President shall preside over all the meeting of the managing committee and general meeting and shall arrange the general meeting as well as managing committee through Secretary. The President shall have right of casting vote.

**16. Rights of the Vice-President.-** In the absence of the President, the Vice-President shall preside all the general meeting of the managing committee and shall also exercise such powers of the President.

**17. Rights of the Secretary.-**

- (a) to call general meeting and managing committee meeting as and when required and put up all application;

- (b) to prepare statement of income and expenditure accounts after duly audited by the auditor and put up before the general meeting;
- (c) to make arrangement for preparing all the papers of the society and inspect them if any irregularity is found, then the report should be laid before managing committee for information;
- (d) the Secretary shall be authorized to accord approval for sanction of amount up to Rs. 5,000/- at a time.
18. **Rights of Joint Secretary.**- In absence of Secretary, the Joint Secretary shall exercise all the powers of the Secretary.
19. **Rights of the Treasurer.**- To maintain the accounts of the Society and make expenditure duly sanctioned by the Secretary of the managing committee.
20. **Bank Account.**- The funds of the Society shall be deposited in Scheduled Bank or Post Office. The withdrawal of the funds shall be done by joint signature of the President/Secretary and Treasurer. For daily expenses a maximum of Rs. 5,000/- shall remain with treasurer.
21. **The information to be submitted to the Registrar.**- Under section 27 of Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) , the list of the managing committee in the prescribed form to be submitted within 45 days from the date of annual general meeting of the Society. Under section 28 of the said Act, audited accounts be submitted in prescribed time every year.
22. **Dissolution.**- The dissolution shall be passed by the Society by 3/5<sup>th</sup> majority of the members are present. The above process shall be executed if in conformity to the provisions of the Act.
23. **Property.**- All movable or immovable property shall be in the name of the Society. Immovable property of the society (fixed assets) cannot be disposed of or acquired by selling, donation or otherwise without the written permission of the Registrar of the Societies.

6. For the existing Forms VI and VII, the following forms shall be substituted, namely :-

**“FORM-VI  
(see rule 10)**

**Application for permission to sale, gift or otherwise of acquiring immovable property under section 21 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).**

1.	Name of the Society and complete address		.....
2.	Registration number and date of the Society		.....
3.	Complete specifications of immovable property which is going to be earned/purchase/gift/transferred/sold or otherwise		.....
4.	Reasons for purchase/sale or otherwise or transferred or objects of the property other than the purpose of the Society		.....
5.	Date of meeting of the Executive Body of the Society wherein the resolution for sale/purchase or to transferred has been passed		.....
6.	The fee for permission for purchase, sale or transfer etc. of immovable property has been deposited Rs.....vide Receipt/Challan No.....dated.....original copy is enclosed		.....

We, the authorised officers of the Society, hereby, declare that :-

- (1) We, the undersigned signatories are the office bearers of the Executive Body, the aforesaid information is based on the record of the Society and is true to the best of our knowledge and belief.
- (2) It is properly verified that the seller of the said property does not belong to the Scheduled Tribes.
- (3) The purchase/sale of the said property is not prohibited, if the permission for purchase/sale is necessary for any authority, then it shall be obtained by us.
- (4) The property shall be purchased/sold by the society in accordance with the guidelines of the Collector. If any false information is submitted, then we shall be liable for punishment under sub-section (2) of section 38 of the Madhya Pradesh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973).

Signature.....  
Name.....  
President.....

Signature.....  
Name.....  
Secretary.....



**FORM VII**

(see rule 11)

Proforma for submitting information of the list of Governing body under section 27 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973).

1. Name of the Society and complete address .....
2. Registration number and date .....
3. Date of Annual General Body Meeting .....
4. List of existing office bearers: Working period from ..... to.....

S.No.	Name, Father's/ Husband's Name	Address	Post held	Principal Occupation	Signature
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					

5. The annual fees under section 27 of the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973) of Rs. .... has been deposited vide Challan No. .... Date ..... original copy thereof is enclosed.

**DECLARATION**

I, .....S/O, D/O, W/O ..... aged about ..... years, in form of an authorized officer, hereby declare that the aforesaid information is true being based on the record of the Society and to the best of our knowledge. I, undersigned authorized signatory officer is in possession of the record of the Society. I know, if any false information is submitted by me the, I shall be liable for punishment under sub section (2) of section 38 of the said Act.

Signature .....

Name .....

(President/Secretary)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनिल भारतीय, उपसचिव.